न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–12/20

1. रोशनी देवी पत्नि श्री किशोरी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. हाल चक 21 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह वाद–पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। वादीया के नाम से चक 21 बी.एल.डी. (ए) का मुरब्बा नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड व चक 20 बी.एल.डी. का मुरब्बा नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 38.10 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड रकबा खातेदारीशुदा है। वादीया का विवाह ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. तह–सूरतगढ़ से हुआ और ओमप्रकाश के वैवाहिक जीवन से वादीया की कोख से तीन सन्तान हुई। विवाह पश्चात वादीया के समस्त दस्तावेज रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से बने थे। उक्त रकबा वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.02.2015 को खरीद किया । बैयनामा के दिन वादीया को समस्त दस्तावेज ओमप्रकाश के नाम से होने उक्त रकबा का बैयनामा रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से पंजीबद्ध हुआ। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं0 160 दिनांक 05.09.2015 दर्ज हो गया था।

वादीया के पति ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार की मृत्यु दिनांक 20.08.2009 हो जाने कारण वादीया के तीन सन्तानों की शिक्षा देखरेख के लिए व सामाजिक रिती रिवाज के

अनुसार व परिवार के लोगो की सहमति से दिनांक 12.03.2012 को वादीया का अपने मृत पति ओमप्रकाश के छोटे सगे भाई किशोरीलाल पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी 2 के.एस. आर तह–सूरतगढ़ से विवाह कर दिया । किन्तु विवाह पश्चात भी अज्ञानता वश वादीया ने फोटो पहचान दस्तावेज मृत पति ओमप्रकाश के नाम से ही चलते रहे। और वर्तमान में वादीया के पूर्नविवाह होने से अपने समस्त फोटो पहचान के दस्तावेज व अन्य दस्तावेजो में अपने पति का नाम परिवर्तन करवाकर अपने समस्त दस्तावेज रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनी देवी पत्नी श्री किशोरीलाल से बनवा लिये है किन्तु वादीया के वादगत रकबा चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल करने की घोषणा की इस्तुदुवा चाही है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वाद–पत्र में वर्णित कथनों एवं पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया और वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह, विवाहप्रमाणपत्र में वादीया का नाम रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल दर्ज है और वादीया इन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपनी खातेदारी वादगत भूमि कि प्रविष्टि में अपने पति के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश के स्थान पर किशोरीलाल दुरूस्त करवाने की विधिक अधिकारी है। अतः वादीया का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल घोषित किया जाता है और तदानुसार डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)